न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 39 / 2023
जी.सी.एस.एस. नं. : 2023 / 292

1. **ज्योति पुत्री सतनाम सिंह उर्फ लडडु जाति मजबीसिख निवासी चक 40 जीबी तहसील श्रीविजयनगर**

–अपीलार्थी

बनाम

1. **फतेह सिंह पुत्र जीत सिंह जाति मजबीसिख निवासी चक 92 जीबी तहसील अनूपगढ़**
2. **सरपंच ग्राम पंचायत 90 जीबी पंचायत समिति अनूपगढ़**
3. **स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़**

–प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :–

1. श्री रायसाहब बाना, श्री गुरचरण सिंह, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री दादूखान जोईया, अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 1
3. तहसीलदार अनूपगढ़, प्रत्यर्थी सं. 3
4. अनुपस्थित, प्रत्यर्थी सं. 2

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 31.07.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि–

1. अपील प्रकरण(प्र.सं. 66 / 21) पूर्ववर्ती न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ से क्षेत्राधिकार परिवर्तन के कारण हस्तांतरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार अनूपगढ़ के द्वारा प्र.सं. 19 / 2013 में पारित आदेश दिनांक 29.08.2013 जिसके द्वारा चक 94 जीबी के मु.नं. 4 की 3.289है. व मु.नं. 40 की 1.582 कुल 4.871है. भूमि का वसीयत के आधार पर प्रत्यर्थी सं. 1 के नाम से नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश पारित किये गये हैं एवं जिसकी अनुपालना में प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा इन्तकाल सं. 285 दिनांक 20.12.2013 स्वीकृत किया गया है से व्यथित होकरयह अपील मय प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रस्तुत की गयी हैं। सरंपच ग्राम पंचायत के आदेश के विरूद्ध अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय का नहीं हैं। सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा पारित आदेश के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किया गया हैं, तहसीलदार अनूपगढ़ के आदेश के विरूद्ध अपील सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को हैं।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को तलब किया गया एवं अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश संबंधित रिकार्ड तलब किया गया। प्रत्यर्थी सं. 1 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 एवं धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर दस्तावेज रिकार्ड पर लेने हेतु निवेदन किया गया हैं। अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 व धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर दस्तावेज रिकार्ड पर लिया जाने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी की अपील एवं प्रार्थना पत्रों पर बहस सुनी गयी। न्यायहित में उभयपक्ष को प्रकरण के संबंध में अपने अपने साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अन्तर्गत आ. 41 नि. 27 व धारा 151 सीपीसी स्वीकार कर प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिया जाता हैं।
3. अपीलार्थी प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 29.08.2013 पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर नहीं दिया तथा ना ही संबंधित प्रकरण में अपीलाण्ट को पक्षकार बनाया गया था। लेकिन उक्त नामातंरण आदेश दिनांक 29.08.2013 से अपीलार्थी के विधिक हित प्रभावित हो रहे है क्योंकि विवादित भूमि अपीलाण्ट के दादा की थी तथा भूमि में जन्म से हित निहित है। अपीलाण्ट

जिला कलक्टर अनूपगढ़

प्रभावित पक्षकार होने के कारण अपील पेश करने का कानूनी रूप से अधिकार हैं। अपीलाण्ट को अपनी पेश करने की अनुमति प्रदान करने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थी सं. 1 जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट मृतक सतनाम सिंह की पुत्री नही है और ना ही जीत सिंह की पोती है तथा ना ही की वारिस है, अपीलाण्ट सद्भाविक नहीं है। इसलिए अपील में वर्णित भूमि में में उसका कोई हित निहित नहीं है तथा ना ही अपीलाण्ट के किसी प्रकार से हित प्रभावित होते हैं। अपीलाण्ट ज्योति सतनाम सिंह की पुत्री नहीं हैं। सतनाम सिंह लाऔलाद फौत हुआ है जबकि सतनाम सिंह की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी कुलविन्द्र कौर तुरंत अन्यत्र जाकर तीन अलग–2 व्यक्तियों से शादी की है ज्योति किसकी औलाद है इस तथ्य की जानकारी कुलविन्द्र कौर को है। प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

4. अपीलार्थी धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि अपीलाण्ट मृतक सतनाम सिंह उर्फ लडडु की पुत्री तथा मृतक जीत सिंह की पोती है इस कारण अपीलाण्ट का जीतसिंह की कृषि भूमि में जन्म से हित निहित होने के कारण सितम्बर 2021 में अपीलाण्ट द्वारा अपने दादा के नाम की कृषि भूमि में अपीलाण्ट ने अपने हिस्सानुसार अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने बाबत रेस्पो. सं. 1 को कहा तो रेस्पा. सं. 1 ने अपीलाण्ट को धमकाते हुए कहा कि वह किस भूमि की बात कर रही है, जीत सिंह के नाम की समस्त कृषि भूमि का नामातंरण अपने पक्ष में वसीयत दिनांक 03.02.2003 के आधार पर दर्ज करवा लिया है। जिस पर अपीलाण्ट ने तहसीलदार अनूपगढ़ के कार्यालय से इंतकाल पत्रावली की प्रमाणित प्रति दिनांक 02.09.2021 को प्राप्त की इंतकाल की प्रति दिनांक 09.09.2021 को प्राप्त की। प्रति प्राप्त करने पर अपीलाण्ट को समस्त तथ्यों की सर्वप्रथम जानकारी हुई हैं। इल्म के राज से अपील अन्दर मियाद पेश की गयी हैं देरी क्षमा योग्य हैं। अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा कर अपील अंदर मियाद स्वीकार फरमाने हेतु निवेदन किया।

अप्रार्थी सं. 1 जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट मृतक सतनाम सिंह की पुत्री नहीं है और ना ही मृतक जीत सिंह की पोती हैं। जब अपीलाण्ट सतनाम सिंह की पुत्री एवं दादा की वारिस ही नहीं है तो सितम्बर 2021 में अपीलाण्ट के द्वारा अपने हिस्सेनुसार अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने बाबत प्रश्न ही पैदा नहीं होता हैं। रेस्पोडेंट के पिता ने अपनी स्वतंत्र इच्छा एवं सहमति से बिना किसी नशे पते व अपने पूर्ण होश हवास से उप पंजीयक के समक्ष उपस्थित होकर गवाहान के समक्ष रेस्पोडेंट के पक्ष में वसीयत दिनांक 03.02.2003 निष्पादित की है और पंजीकृत वसीयत के आधार पर इंतकाल दिनांक 20.12.2013 को दर्ज बाबत जानकारी प्राकृतिक के सामान्य अनुक्रम में 10 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी इंतकाल दिनांक 20.12.213 के संबंध में जानकारी नहीं होना किसी दृष्टि से न्यायोचित नहीं है क्योंकि अपीलाण्ट सद्भाविक नहीं है। इसलिए अपील में वर्णित कृषि भूमि में उसका कोई हित निहित नहीं होने के कारण विलम्ब को क्षमा नहीं किया जा सकता हैं। सतनाम सिंह लाऔलाद फौत हुआ है जबकि सतनाम सिंह की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी कुलविन्द्र कौर तरंत अन्यत्र जाकर तीन अलग–अलग व्यक्तियों से शादी की है। ज्योति किसकी औलाद है इस तथ्य की जानकारी कुलविन्द्र कौर को है। अपील मियाद बाहर हैं। प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

5. उभयपक्ष अधिवक्तागण को अपील एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि. एवं प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी पर सुना गया। अपीलार्थी अधिवक्ता अपनी बहस में अपील व प्रार्थना पत्रों में अंकित तथ्यों को दोहराया और प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी व धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद ग्रहण करते हुए अपील स्वीकार कर आलौच्य आदेश को अपास्त करने हेतु निवेदन किया। अपीलार्थी अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में मा. न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनूपगढ़ के मुकदमा सं. 130/22 में सुखवंत कौर पत्नी स्वर्ण सिंह निवासी 4 एमएसआर द्वारा दर्ज करवाये गये ब्यानों का उल्लेख किया कि "मेरे पिता ने फतह सिंह को कोई वसीयत नहीं करवाई मेरे भाई फतह सिंह ने जमीन ठेके देने का कहकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिये। मेरे दूसरे भाई का नाम सतनाम सिंह उर्फ लडडू है जिसका विवाह कुलविन्द्र कौर से हुआ था। जिसके एक संतान ज्योति कुलविन्द्र कौर से हुई थी। सतनाम सिंह की मृत्यु के 1 माह बाद ज्योति

का जन्म हुआ था। ..." आलौच्य आदेश विधि विपरीत होने के कारण निरस्त करने के लिए निवेदन किया।

6. अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 1 अपनी बहस में कथन किया कि प्रत्यर्थी सं. 1 वसीयतकर्ता का पुत्र हैं। वसीयत पंजीकृत हैं। अपीलार्थी सतनाम सिंह की पुत्री हैं इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया हैं। अपीलार्थी का अपीलाधीन भूमि में कोई हक एवं हिस्सा निहित नहीं हैं। वसीयत वर्ष 2003 की हैं। 10 वर्ष की अवधि के पश्चात अपील पेश की गयी हैं जो देरी क्षमा योग्य नहीं हैं। यदि अपीलार्थी व्यथित हैं तो उनके द्वारा आज तक वसीयत को निरस्त नहीं करवाया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिपूर्ण तरीके से आदेश पारित किया हैं। अपील अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

7. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ़ की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाधीन भूमि के संबंध में वसीयत जिसके आधार पर नामान्तरण के आदेश पारित किये गये हैं वह पंजीकृत वसीयत हैं, अपीलार्थी द्वारा उक्त वसीयत किसी सक्षम न्यायालय में चुनौति देने अथवा निरस्त करवाने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया हैं। अपीलार्थी के द्वारा इस आधार पर यह अपील प्रस्तुत की गयी हैं कि वह वसीयतकर्ता के पुत्र सतनाम सिंह की पुत्री हैं। इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा अंकतालिका माध्यमिक परीक्षा व अंकतालिका कक्षा 8 व आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी हैं जिसमें ज्योतिप्रीत पुत्री सतनाम सिंह नाम अंकित हैं। जबकि अपील मीमों में अपीलार्थी का नाम ज्योति दर्ज किया गया हैं। अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर प्रत्यर्थी अधिवक्ता द्वारा एतराज किया गया हैं। प्रस्तुत दस्तावेज अंकतालिका व आधार कार्ड के आधार पर निष्कर्षतः यह प्रमाणित नहीं होता हैं कि दस्तावेजों में अंकित नाम ज्योतिप्रीत, अपीलार्थी हैं तथा अंकित पिता का नाम सतनाम सिंह, जीत सिंह का पुत्र हैं। अपीलार्थी द्वारा सतनाम सिंह की वारिस होने संबंधित दस्तावेज वारिस प्रमाण पत्र, सक्षम न्यायालय से जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र पेश किया गया हैं। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के मृतक सतनाम के वारिस होना प्रमाणित नहीं हैं। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा मा. न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनूपगढ़ के मुकदमा सं. 130/22 में सुखवंत कौर के ब्यानों प्रति प्रस्तुत की गयी हैं परन्तु मा. न्यायालय द्वारा उक्त ब्यान पर किये गये विचारण उपरांत पारित आदेश अथवा निर्णय के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया हैं। अपीलार्थी द्वारा दस्तावेज वसीयत को सक्षम न्यायालय के समक्ष चुनौति दी गयी हो ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया हैं। अपील अलौच्य आदेश के 9 वर्ष की अवधि बाद पेश की गयी हैं परन्तु अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा करने का कोई ठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार योग्य नहीं हैं।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील मय प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 31.07.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर
अनूपगढ़ (राज.)